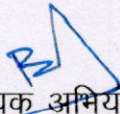
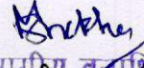


परियोजना का नाम:- जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र बागेश्वर के अन्तर्गत स्याली से
इड़िया-मनाखेत मोटर मार्ग का विस्तार कार्य।

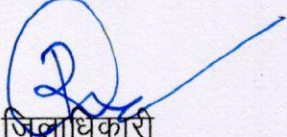
अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने व वन भूमि की मांग न्यूनतम होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु आवेदित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है व चयनित भूमि पर ही परियोजना का निर्माण किया जा सकता है। आवेदित 1.763 है० वन भूमि की मांग न्यूनतम है व इससे कम वन भूमि पर परियोजना का निर्माण कार्य किया जाना सम्भव नहीं है।


सहायक अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो०नि०वि०
सहायक अभियंता
बागेश्वर
प्रान्तीय खंड लो०नि०वि०
बागेश्वर


प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग
बागेश्वर

अधिशाली अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो०नि०वि०
अधिशाली अभियंता
बागेश्वर
प्रान्तीय खंड लो०नि०वि०
बागेश्वर


जिलाधिकारी
बागेश्वर
बागेश्वर

नोट- यह सूचना प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी व जिला अधिकारी के हस्तार करवा कर प्रस्ताव के साथ संलग्न की जानी है।